:: प्रारुप–30 ::

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand, Office of the District Collector, Garhwal.

No 1964/26-A-0 [illegible]-2014-015 Dated 28/02/015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.080** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro** for **Garsari-Kulyani Motor Road.** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kulyani** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.080** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I** to annexure **II.**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

26-2-15

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
जिलाधिकारी
गढ़वाल

:: प्रारुप–30.1 ::

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekhar Bhatt I.A.S deputy commissioner,. Garhwal……………… on dated 26-2-2015 at time 11:00 am at **Garhwal** in which application claiming rights in **Kulyani** area measuring **1.080** hect for the construction of **Garsari-Kulyani Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Thalisain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:……………
Dated:…………..

26.2.15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
गढ़वाल

30.2

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Garhwal.

No 1964/26-A.O. [illegible]—2014-015 Dated 28/2/015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.080** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for **Garsari-Kulyani Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Kulyani** village (s) in Thalisain tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire**1.080** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure III to annexure V.

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Sinduri villages(s) is enclosed as annexure III to annexure V.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

26.2.15

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Garsari-Kuliyani Motor Road regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 1.080 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

मंगल सिंह नेगी
सदस्य जिला पंचायत 34 कैन्यूर
वि०ख० थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

26.2.15

Executive Engineer
P.W.D. Division Baijro

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

3014

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– गडसारी - कुन्यॉणी मोटर मार्ग विस्तार का निर्माण लम्बाई 3.000 किलोमीटर

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैंण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैंण

उपखण्ड थलीसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत गडसारी-कुन्यॉणी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 1.080 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन, पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.080 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैंण) की दिनांक 24.2.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल सिंह गर्ब्याल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनिल सिंह गर्ब्याल उपजिलाधिकारी थलीसैंण अध्यक्ष
2– श्री एस० के० राणा उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी सदस्य
3– श्री मायाराम सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बैजरो द्वारा गडसारी-कुन्यॉणी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 3.000 किलोमीटर परियोजना हेतु 1.080हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ———— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

30.5

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत गड़सारी - कुल्याणी मोटर मार्ग विस्तार कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.80 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

क्षेत्र पंचायत ... पैठाणी, थलीसैंण

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
थलीसैंण

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि०ख० थलीसैंण पौड़ी

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– थलीसैंण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, जनपद - पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– थलीसैंण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

30.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– गड़सारी–कुल्यॉंणी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 3.000 किलोमीटर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – गड़सारी
तहसील–थलीसैंण जिला–पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला–गढ़वाल–उत्तराखण्ड में गड़सारी–कुल्यॉंणी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 3.00 कि.मी.–परियोजना के निर्माण हेतु (———है0 आरक्षित वन भूमि, 1.0680 है0 सिविल सोयम भूमि..शून्य है0, वन पंचायत भूमि शून्य— है0) अर्थात कुल 1.0680 है0 वन भूमि का लोक निर्माण——विभाग / ~~संस्था~~ के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –गड़सारी— द्वारा दिनांक..............को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गड़सारी, कुल्यॉंणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –	ह0 / –
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान

सचिव ग्राम पंचायत गड़सारी ... पोखड़ाकोट ... थलीसैंण

प्रधान ग्राम पंचायत कुल्यॉंणी वि० क्षे० थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत ... पित्रसैंण

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

कार्यालय ग्राम पंचायत कुल्यौंणी, तहसील-चलीसैण, जिला-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सत्यप्रतिलिपि

ग्राम सभा बैठक 15.1.2015 दिनांक :-

क0	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव कमांक एवं विषय	की गई कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	हस्ताक्षर
	ग्राम सभा के कुल सदस्यगणों की संख्या 6 -ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की संख्या 12 एवं वरिष्ठ ग्रामवासी	प्रस्ताव कमांक 07 चर्चा का विषय- गढ़खाल - कुल्यौंणी मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि ---हेतु(1.080 है0 आरक्षित वनभूमि शून्य है0 संरक्षित वनभूमि, शून्य है0(कुल 1.080) है0 के संबंध में फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वनभूमि में अनसूचित जनजाति, आदिवासी, व गैर आदिवासी का उक्त वनभूमि में कोई कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है। एवं फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्माण हेतु (1.080 है0 आरक्षित वनभूमि, शून्य है0 संरक्षित वनभूमि, शून्य है0 कुल 1.080) है0 वनभूमि गढ़खाल - कुल्यौंणी मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य हेतू प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।	प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।	केशरसिंह दातासिंह इन्द्रराम आशाराम तोताराम रामस्वरूप Satish Balkar [illegible] चन्द्रमोहन विक्रमसिंह [illegible]

3017

प्रधान ग्राम पंचायत कुल्यौंणी
वि० क्षे० थलीसैण
ह० [illegible]
पौड़ी गढ़वाल

ग्राम पंचायत — कुक्ख्यौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	केसर सिंह	केसरसिंह
2.	सारदानन्द	सारदानन्द
3.	दातराम	दातराम
4.	छगटराम	छगटराम
5	तोताराम	तोताराम
6	आशाराम	आशाराम
7	~~राम[illegible]~~ रामस्वरूप	रामस्वरूप
8	बलराम	Balram
9	शिव सिंह	शिवसिंह
10	विक्रमसिंह	विक्रमसिंह
11	सतीशचन्द्र	Satish
12	चन्द्रमोहन	चन्द्रमोहन

प्रधान ग्राम पंचायत कुक्ख्यौली
(वि० क्ष० थलीसैंण)
ह० [signature]
पौड़ी गढ़वाल